



2026:AHC:13329

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 132 सन् 2026

गिरीश सिंह

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: आलोक रंजन त्रिपाठी, कमलेश कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: बृज कुमार सरोज, सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता, राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

"(i) इस माननीय न्यायालय के दिनांक 22.07.2024 के आदेश के अनुपालन में अवैध और फर्जी आदेश पारित करके प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 20.01.2025 द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें;

(ii) पूर्व अभिलेखों के आकार पत्र 41 एवं 45 की प्रविष्टियाँ पुनर्स्थापित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(iii) ग्राम सभा कनमिसवा, तहसील-निचलौल, जिला-महराजगंज में स्थित भूखण्ड संख्या 106, 107, 108, 110, 111 के अवैध अतिक्रमणकारी प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर उन्हें भूमि से बेदखल करने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) 1359 फसली के पूर्व अभिलेखों के आकार पत्र 41 एवं 45 के अनुसार राजस्व अभिलेखों आकार पत्र 41 एवं 45 को शुद्ध करने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी एवं अन्य, उस भूखण्ड पर दर्ज हैं जो वन के लिए आरक्षित था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण द्वारा निजी प्रतिवादी की प्रविष्टि विलोपित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याची द्वारा दायर अभ्यावेदन को मनमाने तरीके से आक्षेपित आदेश के अन्तर्गत अस्वीकार किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए एवं विचाराधीन भूखण्ड की प्रविष्टि तत्काल शुद्ध की जाए।

4. मैंने याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

5. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी एवं अन्य, विचाराधीन भूखण्ड पर दर्ज हैं।

6. याची द्वारा दायर अभ्यावेदन को आक्षेपित आदेश के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अस्वीकार किया गया है कि भूधारकों की प्रविष्टि सही प्रतीत होती है एवं विचाराधीन भूखण्ड की प्रविष्टि विलोपित किये जाने का उपाय उचित न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है।

7. तहसीलदार, महाराजगंज द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 20.1.2025 पारित करते समय अंकित निष्कर्षों एवं विचाराधीन भूखण्ड की राजस्व प्रविष्टियों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि याची के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

8. उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत प्रविष्टि के सम्बन्ध में नियमित कार्यवाही एवं संक्षिप्त कार्यवाही प्रारम्भ करने की उचित प्रक्रिया विहित की गई है, अतः जनहित याचिका ग्राह्य नहीं है।

9. प्रकरण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

10. यह जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 जनवरी, 2026

रमीज़

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।